



भारत का राजपत्र The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
साप्ताहिक
WEEKLY

सं. 22] नई दिल्ली, जून 3—जून 9, 2018, शनिवार/ज्येष्ठ 13—ज्येष्ठ 19, 1940
No. 22] NEW DELHI, JUNE 3—JUNE 9, 2018, SATURDAY/JYAISTHA 13—JYAISTHA 19, 1940

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं
Statutory Orders and Notifications Issued by the Ministries of the Government of India
(Other than the Ministry of Defence)

वित्त मंत्रालय
(वित्तीय सेवाएं विभाग)
नई दिल्ली, 14 मई, 2018

का.आ. 885.—राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंध एवं प्रकीर्ण उपबंध) स्कीम, 1970 के खंड 3 के उप-खंड (1) के साथ पठित बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9 की उप-धारा (3) के खंड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, एतद्वारा, डॉ. भूषण कुमार सिन्हा, आर्थिक सलाहकार, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, वित्तीय सेवाएं विभाग को तत्काल प्रभाव से और अगले आदेशों तक, श्री गोविंद मोहन के स्थान पर सेन्ट्रल बैंक आफ इंडिया के निदेशक मण्डल में सरकारी नामिती निदेशक के रूप में नामित करती है।

[फा.सं. 6/3/2012-बीओ-1]

जानोतोष राय, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE
(Department of Financial Services)

New Delhi, the 14th May, 2018

S.O. 885.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (3) of section 9 of The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, read with sub-clause (1) of clause 3 of The

Nationalized Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970, the Central Government hereby nominates Dr Bhushan Kumar Sinha, Economic Adviser, Government of India, Ministry of Finance, Department of Financial Services, as Government Nominee Director on the Board of Directors of Central Bank of India, with immediate effect and until further orders, *vice* Shri Govind Mohan.

[F. No. 6/3/2012-BO-I]

JNANATOSH ROY, Under Secy.

नई दिल्ली, 23 मई, 2018

का.आ. 886.—बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9 की उप-धारा (3) के खंड (ज) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, एतद्वारा, श्री तपन रे (जन्म तिथि: 9.9.1957) को उनकी नियुक्ति की अधिसूचना की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, सेन्ट्रल बैंक आफ इंडिया में अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक के साथ-साथ गैर-कार्यकारी अध्यक्ष के पद पर नियुक्त करती है।

[फा.सं. 6/3/2017-बीओ-I]

ज्ञानोतोष राय, अवर सचिव

New Delhi, the 23rd May, 2018

S.O. 886.—In exercise of the powers conferred by clause (h) of sub-section (3) of Section 9 of The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, the Central Government hereby appoints Shri Tapan Ray (date of birth: 9.9.1957) as Part-time Non-official Director as well as Non-Executive Chairman in Central Bank of India for a period of three years from the date of notification of his appointment, or until further orders, whichever is earlier.

[F. No. 6/3/2017-BO-I]

JNANATOSH ROY, Under Secy.

नई दिल्ली, 23 मई, 2018

का.आ. 887.—बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1980 की धारा 9 की उप-धारा (3) के खंड (ज) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, एतद्वारा, श्री चरण सिंह (जन्म तिथि: 30.9.1960) को उनकी नियुक्ति की अधिसूचना की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, पंजाब एंड सिंध बैंक में अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक के साथ-साथ गैर-कार्यकारी अध्यक्ष के पद पर नियुक्त करती है।

[फा.सं. 6/3/2017-बीओ-I]

ज्ञानोतोष राय, अवर सचिव

New Delhi, the 23rd May, 2018

S.O. 887.—In exercise of the powers conferred by clause (h) of sub-section (3) of Section 9 of The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1980, the Central Government hereby appoints Shri Charan Singh (date of birth: 30.9.1960) as Part-time Non-official Director as well as Non-Executive Chairman in Punjab and Sind Bank for a period of three years from the date of notification of his appointment, or until further orders, whichever is earlier.

[F. No. 6/3/2017-BO-I]

JNANATOSH ROY, Under Secy.

नई दिल्ली, 23 मई, 2018

का.आ. 888.—बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9 की उप-धारा (3) के खंड (ज) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, एतद्वारा, सुश्री अंजलि बंसल (जन्म तिथि: 25.2.1971) को उनकी नियुक्ति की अधिसूचना की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, देना बैंक में अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक के साथ-साथ गैर-कार्यकारी अध्यक्ष के पद पर नियुक्त करती है।

[फा.सं. 6/3/2017-बीओ-1]

ज्ञानोतोष राय, अवर सचिव

New Delhi, the 23rd May, 2018

S.O. 888.—In exercise of the powers conferred by clause (h) of sub-section (3) of Section 9 of The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, the Central Government hereby appoints Ms. Anjali Bansal (date of birth: 25.2.1971) as Part-time Non-official Director as well as Non-Executive Chairman in Dena Bank for a period of three years from the date of notification of her appointment or until further orders, whichever is earlier.

[F. No. 6/3/2017-BO-I]

JNANATOSH ROY, Under Secy.

नई दिल्ली, 23 मई, 2018

का.आ. 889.—दिनांक 8.7.2013 की अधिसूचना संख्या फा. सं. 4/4/2012-बीओ-1 में आंशिक संशोधन करते हुए, केन्द्रीय सरकार, एतद्वारा, श्री राजीव ऋषि को उनके पदनाम को निम्नानुसार संशोधित करते हुए अधिसूचना की तारीख से उनके बचे हुए कार्यकाल की अवधि (अर्थात् 31.7.2018 तक) के लिए अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया के प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी के पद पर नियुक्त करती है:

वर्तमान पदनाम	नया पदनाम
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी

[फा.सं. 6/3/2017-बीओ-1]

ज्ञानोतोष राय, अवर सचिव

New Delhi, the 23rd May, 2018

S.O. 889.—In a partial modification to the notification F. No. 4/4/2012-BO-I, dated 8.7.2013, Central Government, hereby appoints Shri Rajeev Rishi as Managing Director and Chief Executive Officer, Central Bank of India, with effect from the date of notification, for the residual period of his tenure (*i.e.* till 31.7.2018), or until further orders, whichever is earlier, by modifying his designation as under:

Existing designation	New Designation
Chairman and Managing Director	Managing Director and Chief Executive Officer

[F. No. 6/3/2017-BO-I]

JNANATOSH ROY, Under Secy.